

नागरिकता संशोधन अधिनियम: अनपैकड

प्रलिमिंस के लिये:

[नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#), [नागरिकता अधिनियम, 1955](#), [वदिशी अधिनियम, 1946](#), [पासपोर्ट अधिनियम, 1920](#), [नागरिकता नयिम, 2004](#), [आधार कार्ड](#), [जनम प्रमाण पत्र](#), [आसूचना ब्यूरो \(Intelligence Bureau- IB\)](#), [धर्मनरिपेक्षता](#), [वधिके समकष समानता](#), [अनुच्छेद 14](#), [असम समझौता, 1985](#)

मेन्स के लिये:

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एवं भारत की धर्मनरिपेक्षता और बहुलवाद पर इसका नहितारथ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा [नागरिकता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) के नयिमों को अधिसूचित किया गया है ।

- यह कानून पाकस्तान, बांग्लादेश और अफगानस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है ।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 क्या है?

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य [नागरिकता अधिनियम \(CAA\), 1955](#) में संशोधन करना है ।
- CAA पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुसलमि समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था ।
- यह अधिनियम इन छह समुदायों के सदस्यों को [वदिशी अधिनियम, 1946](#) और [पासपोर्ट अधिनियम, 1920](#) के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है ।
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये दंड नरिदषिट करते हैं ।

भारतीय नागरिकता का अधग्रहण और नरिधारण:

- भारतीय नागरिकता चार तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीकरण । ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सूचीबद्ध हैं ।
 - जन्म के आधार पर :**
 - भारत में 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रियता कुछ भी हो ।
 - 1 जुलाई, 1987 और 2 फरवरी, 2004 के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, बशर्ते कि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक देश का नागरिक हो ।
 - 3 दिसंबर, 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसके माता-पिता दोनों भारतीय हों या जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो ।
 - पंजीकरण द्वारा:** पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है । कुछ अनविार्य नयिम नमिनलखिति हैं:
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक भारत का नवासी रहा हो ।
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो अवभाजति भारत के बाहर किसी देश का नवासी हो ।
 - एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से ववाह किया है और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक सामान्य रूप से नवासी है ।
 - उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं ।
 - अवजनन द्वारा नागरिकता:**

- भारत के बाहर 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके पश्चात पैदा हुआ व्यक्ति अवजनन के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है।
- 10 दिसंबर, 1992 को अथवा उसके पश्चात कति 3 दिसंबर, 2004 से पूर्व भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति अवजनन के आधार पर भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता/पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है।
- यदि भारत के बाहर अथवा 3 दिसंबर, 2004 के पश्चात पैदा हुए किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके माता-पिता को यह घोषणा करनी होगी कि नाबालग के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है और उसके जन्म का रजिस्ट्रिकरण उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारत के किसी कौन्सलेट में कर दिया गया है।

◦ देशीकरण द्वारा नागरिकता:

- कोई व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह सामान्य रूप से 12 वर्षों (आवेदन की तिथि से 12 माह पूर्व और कुल 11 वर्ष सहित) के लिये भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अधीन सभी योग्यताओं की पूर्ति करता है।
- यह अधिनियम दोहरी नागरिकता अथवा दोहरी राष्ट्रियता का प्रावधान नहीं करता है। यह केवल उपर्युक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिये नागरिकता की अनुमति देता है अर्थात्: जन्म, अवजनन, रजिस्ट्रिकरण अथवा देशीकरण द्वारा।

नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गए नयिम कौन-से हैं?

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** सरकार ने शरणार्थियों की दुर्दशा में सुधार करने के लिये पूर्व में भी कदम उठाए हैं, जिसमें **वर्ष 2004 में नागरिकता नयिमों में संशोधन** तथा **वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2018** में की गई अधिसूचनाएँ भी शामिल हैं।
- **CAA नयिम 2024: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B** CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिये आवेदन प्रक्रिया का आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिये आवेदक को अपने **मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि** एवं भारतीय भाषाओं में से किसी एक में दक्षता का प्रमाण देना होगा।
 - **मूल देश का प्रमाण:** प्रमाण हेतु लचीली आवश्यकताएँ विभिन्न दस्तावेजों की अनुमति देती हैं, जिनमें जन्म अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान दस्तावेज, लाइसेंस, भूमि रिकॉर्ड अथवा उल्लिखित देशों की नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई भी दस्तावेज शामिल है।
 - **भारत में प्रवेश की तिथि:** आवेदक भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 विभिन्न प्रकार के दस्तावेज** प्रदान कर सकते हैं जिनमें **वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्चियाँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी अथवा न्यायालयी पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र** इत्यादि शामिल हैं।

CAA नयिमों के कार्यान्वयन के लिये क्या तंत्र है?

- गृह मंत्रालय (MHA) ने CAA के अंतर्गत नागरिकता आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग एवं जनगणना अधिकारियों को सौंपा है।
 - **आसूचना ब्यूरो (IB)** जैसी केंद्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा पृष्ठभूमि एवं सुरक्षा जाँच की जाएगी।
- आवेदनों पर अंतिम नरिणय प्रत्येक राज्य में **नदिशक (जनगणना संचालन)** की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा किया जाएगा।
- इन समितियों में **आसूचना ब्यूरो, पोस्टमास्टर जनरल, राज्य अथवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और **राज्य सरकार के गृह विभाग एवं मंडल रेलवे प्रबंधक** के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
 - **डाक विभाग के अध्यक्ष** की अध्यक्षता में **ज़िला-स्तरीय समितियाँ** आवेदनों की जाँच करेंगी, जिसमें **ज़िला कलेक्टर कार्यालय** का एक प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होगा।
- **आवेदनों का प्रसंस्करण:** केंद्र द्वारा स्थापित **अधिकार प्राप्त समिति** और **ज़िला स्तरीय समिति (DLC)**, राज्य नरिणय को दरकिनार करते हुए नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करेंगी।
 - DLC आवेदन प्राप्त करेगा और अंतिम नरिणय **नदिशक (जनगणना संचालन)** की अध्यक्षता वाली **अधिकार प्राप्त समिति** द्वारा किया जाएगा।

CAA से संबद्ध चर्चाएँ क्या हैं?

- **बहिष्करणीय प्रकृति:** आलोचकों का तर्क है कि CAA बहिष्करणीय है क्योंकि यह **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** से आए बनिा दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिये भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, लेकिन केवल तभी जब वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई** हों। इन पड़ोसी देशों से मुसलमानों का यह बहिष्कार धार्मिक भेदभाव के बारे में चर्चाएँ उत्पन्न करता है।
- **धर्मनरिपेक्षता के साथ वरिधाभास:** भारत का संविधान **धर्मनरिपेक्षता**, धर्म की परवाह किये बनिा **वधि के समक्ष समता** के सिद्धांत को स्थापित करता है। स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में कुछ धार्मिक समूहों का समर्थन करके, CAA को इस **धर्मनरिपेक्ष लोकाचार के विपरीत** माना जाता है।
- **बहुलवाद का अवमूल्यन करना:** भारत में धार्मिक विविधता और बहुलवाद का एक समृद्ध इतिहास है। आलोचकों का तर्क है कि CAA कुछ धार्मिक समूहों को दूसरों पर विशेषाधिकार देकर इस विविधता का अवमूल्यन करता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण सुनिश्चित हो सकता है।
- **संवैधानिक चुनौती:** आलोचकों का तर्क है कि यह **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14** का उल्लंघन करता है, जो **वधि के समक्ष समता के अधिकार की गारंटी** देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

- CAA में धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है।
- **असम समझौते पर प्रभाव:** असम में, **असम समझौते, 1985** के साथ CAA की अनुकूलता को लेकर एक विशेष चिंता है।
 - समझौते ने असम में नागरिकता निर्धारित करने के लिये मानदंड स्थापित किये जिसमें नववास के लिये विशिष्ट कट-ऑफ तारीखें भी शामिल थीं।
 - CAA में नागरिकता प्रदान करने के लिये अलग समयसीमा का प्रावधान असम समझौते के प्रावधानों के साथ संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, जिससे कानूनी और राजनीतिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- **समीक्षा और संशोधन:** सरकार नागरिकता के लिये धार्मिक मानदंड को हटाने के लिये CAA की समीक्षा और संशोधन पर विचार कर सकती है। इससे भेदभाव संबंधी चिंताओं का समाधान होगा और भारतीय संविधान में नहिती धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखा जा सकेगा।
- **समानता सुनिश्चित करना:** किसी भी नए कानून या संशोधन से सभी व्यक्तियों के लिये वधि के समक्ष समता सुनिश्चित होनी चाहिये, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह **अनुच्छेद 14** के तहत समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार की संवैधानिक गारंटी के अनुरूप होगा।
- **परामर्श और संवाद:** धार्मिक और सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों एवं वधि विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श व संवाद में संलग्न रहने की आवश्यकता है। यह समावेशी दृष्टिकोण आम सहमत बनाने और समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है।
- **बहुलवाद की रक्षा करना:** ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिये जो भारत की धार्मिक विविधता और बहुलवाद का समर्थन कर उनकी रक्षा करें। इसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच **अंतरधार्मिक संवाद, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने की पहल** शामिल हो सकती है।
- **वैधानिक स्पष्टता:** **असम समझौते** जैसे मौजूदा सहमत और समझौतों के साथ CAA की अनुकूलता पर स्पष्टता प्रदान की जानी चाहिये। किसी भी विसंगत या संघर्ष को वैधानिक तंत्र और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से हल किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????

Q. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधवास है।
2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्रपक्ष बन सकता है।
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

उत्तर: (a)